बाल संरक्षण नीति (पॉलिसी)

गेटवे मिनिस्ट्रीस इंटरनेशनल

सूचि

क्रमांक	विषय सुचि	पृष्ठ संख्या
१	निती का विवरण	४
२	निती के कार्यक्षेत्र	४
३	मार्गदर्शक सिंद्धात	४
४	परिभाषाँए	५
५	स्तर	७
६	व्यवहारीक शिष्टाचार और आचार संहिता	११
७	अनुबंध	१३

निती का विवरण

गेटवे मिनिस्ट्रीस इंटरनेशनल , समर्पित है बच्चो के अधिकारों की रक्षा के लिए। बाइबल तथा यू एन सी आर सी (संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बाल अधिकारों पर) और, देश के कानून के अनुसार हम इस बाल संरक्षण नीति का पालन करते है ताकि हमारे हितधारको के बींच बाल संरक्षण के उच्च स्तर को सुनिश्चित कर सके। यह नीति बाल दुर्व्यवहार आरोपीं की सुचना और उस के तुरंत निवारण के लिए मार्गदर्शन करेगी।

नीति के कार्यक्षेत्र

यह नीति बच्चों को सभी प्रकार के दुरुपयोग से बचाने और, यू एन सी आर सी में निहित बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। देश के कानून को ध्यान में रखकर जो बच्चे हमारी देखरेख मे हैं, उनके खिलाफ बाल दुर्व्यवहार के आरोपो का संचालन इस नीति के द्वारा निर्देशित होगा। यह बाल संरक्षण नीति बाल सुरक्षा के संबंध में संगठनात्मक अभ्यास के विभिन्न पहलूओं के सिद्वांतो, मानकों और दिशानिर्देशों का ढाचा प्रदान करती है।

यह बाल सुरक्षा नीति सभी बोर्ड सदस्यों, स्टाफ (स्थायी और अनुबंध), स्वयंसेवक, आर्थिक मददगार ,मिलने आने वाले, बच्चें और वे पालक जिनका सीधा रिश्ता या दूर का रिश्ता हमारी देखरेख के बच्चों के साथ उन सभी के लिये लागू होंगी।

मार्गदर्शक सिद्धांत

- हर बच्चा परमेश्वर की छवि मे बनाया गया है और उसका जीवन का एक विशेष उद्देश्य है
- सभी बच्चो के साथ आदर और सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए
- सभी देखभाल करने वालों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करे कि बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचें
- हर संभव प्रयास किया जाएगा की बच्चों को सभी तरह के दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखा जाए

परिभाषा/ व्याख्या

बच्चा / बालक

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार (धारा १) हर इंसान जिस की उम्र १८ वर्ष से कम है वह बच्चा कहलाता है

बाल सुरक्षा

बाल सुरक्षा एक व्यापक शब्द है जो वर्णन करता है उन नीतियों, मानकों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का जिससे बच्चों को जानबूझकर और अनजाने मे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इस संदर्भ में, यह विशेष रुप से हमारी संगठन के कर्तव्यों पर लागू होता है। जिन बच्चों की देखभाल हम करते है उनके लिये बच्चो के खिलाफ हिंसा, शोषण और दुरुपयोग को रोकने ओर जवाबी कार्यवाही करने के लिये यूनिसेफ बाल सुरक्षा इस शब्द का उपयोग करते हे।

बाल शोषण

बाल शौषण और दुराचार मे सभी प्रकार के शारीरिक और/या भावनात्मक बुरा व्यहार, यौन दुर्व्यवहार, उपेक्षा या लापरवाही से किया उपचार या व्यावसायिक या अन्य शोषण, जिससे बच्चे की स्वास्थ, अस्तित्व, विकास संबंधी या गरिमा (प्रतिष्ठा) को वास्तविक या संभावित नूकसान हो सकते हैं जिसका सम्बन्ध जिम्मेदारी, विश्वास या शक्ति के संदर्भ में है
(**WHO 1999**)

बाल शोषण का अर्थ यह भी है, किसी भी बच्चे से, इरादे से या अनचाहे और कथित दुर्व्यवहार चाहे अभ्यस्त या नहीं, निम्नलिखित इन में से कोई भी :

- मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शोषण, अनादर, क्रूरता, योन और भावनात्मक दुराचार
- किसी भी कार्य, कृत्य या शब्द, जो मानव के रुप मे एक बच्चे की आंतरिक मूल्य और गरिमा (प्रतिष्ठा) को खत्म करता है
- अनुचित कारण से भोजन और आश्रय जैसे जीवित रहने के लिए मूलभूत जरूरतों से वंचित रखना, या एक घायल बच्चे को समय पर चिकित्सा या उपचार देने में असफल होने के कारण उसकी वृद्धि और विकास या उसकी स्थायी अक्षमता या मृत्यू की गंभीर हानी।

शारीरिक शोषण : जब कोई व्यक्ति जानबुझकर किसी व्यक्ति को शारीरिक रुप से चोट पहुंचाता है या चोट पहुंचाने कि धमकी देता है। इसमे जलाना, मारना, लात मारना, पिटाई या अन्यथा एकबच्चे को नुकसान पंहुचाना शामिल हो सकता है।

लैंगिक शोषण : लैंगिक शौषण एक बच्चे के साथा अनुचित यौन व्यवहार है, जिसे उल्लेखित किया है, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (POCSO) अधिनियम २०१२ मे और अन्य बाल संबंधित कानुनो मे लिखा है। इसमे बच्चे के गुप्त भागों को सहलाना शामिल है, या बच्चे से किसी वयस्कों के गुप्त भागों को सहलाना, व्यभिचार, रिश्तेदार के द्वारा संभोग, बलात्कार,कामांग प्रदर्शन करना और यौण शौषण। साथ ही ऑनलाइन व्यवहार जिसमे

पोरनोग्राफिक (अश्लील) सामग्री दिखाना, नग्न बच्चे की तस्वीरें लेना, बच्चों की अश्लील सामग्री को रखना या बनाना शामिल है। ऐसे किसी भी कृत्यों को "लैंगिक शौषण" के रुप में माना जाएगा।

भावनात्मक शोषण : भावनात्मक शोषण को शाब्दिक दुरुपयोग, मानसिक दुर्व्यवहार, और मनोवैज्ञानिक दुराचार के रुप में भी जाना जाता है। इसमें माता पिता या देखभाल करने वालों की विफलता शामिल है, जिस वजह से उन बच्चों पर गंभीर व्यवहारिक, सज्ञानात्मक, भावनात्मक, या मानसिक आधात का कारण बन सकता है। इसमें माता पिता या देखभाल करने वालो ने दंड के विचित्र रुपों का उपयोग किया हो जैसे कि एक कोठरी या अंधेरे कमरे में बन्द रखना ,एक कूर्सी से बांधना या बच्चे को धमकी या आतंकित करना। कम गंभीर कृत्य, जो कम हानिकारक नहीं हैं, वो है बच्चो का वर्णन करने के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए बच्चे को दोष देना ,नीचा दिखाना या उसे एक बलि का बकरा बनाना ,उचित बर्ताव ना करके उपेक्षा करना।

तिरस्कार करना : बच्चे की बुनियादी जरुरतों को प्रदान न करना। यह भौतिक, शैक्षणिक ,या भावनात्मक हो सकती है। शारीरिक उपेक्षा मे पर्याप्त भोजन या कपडें, सही चिकित्सा, देखभाल, प्रदान नहीं करना शामिल है। इसमे बच्चे को छोड देना भी शामिल है। शैक्षणिक उपेक्षा में उचित विद्यालय या विशेष शैक्षणिक आवश्यकताएं, प्रदान करने मे विफलता शामिल है, जिससे बिना अनुमति स्कूल से पलायन को नजरअंदाज करना। मनोवैज्ञानिक उपेक्षा मे किसी भी भावनात्मक समर्थन और प्यार की कमी शामिल है, बच्चे को सही तरह से ध्यान न देने से बच्चे का मादक पदार्थो के दुरुपयोग मे शामिल होना है, या बच्चे को नशीली दवा और शराब के इस्तेमाल मे भाग लेने की अनुमति देना शामिल है।

बाल सुरक्षा उल्लंधन की परिभाषा

इस संदर्भ में बाल सुरक्षा का उल्लंधन है.

- कोई भी कार्य या व्यवहार जो संभवतः बच्चे के प्रति दुर्व्यवहार के जोखिम को बढा सकता है
- जब एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उस स्थिति में उसे रोक पाने में असफल होना
- बिना उचित कारण के इस पॉलिसी मे मौजूद आचरण की नीति या निर्धारित शिष्टाचार का पालन करने मे असफलता।

यह नीति सभी बाल सुरक्षा उल्लंधनो के अनिवार्य सुचना की मांग करती है। सभी सदस्यों जो इस दायरे के भीतर है उन्हे सुचना देना अनिवार्य है अगर बाल सुरक्षा का उल्लंधन हो रहा हो या उन्हे किसी पर संदेह है।

स्तर

हमारी संस्था बाल सुरक्षा के निम्नलिखित मानको का पालन करेगी

१. कर्मचारी की नियुक्ती : नौकरी के लिए विज्ञापन इस बात पर जोर देंगे कि हमारी संस्था बाल सुरक्षा को गंभीरता से लेती है। आवेदकों के आवेदन पत्र के साथ उन्हे, अपने समुदाय के मुख्य दो व्यक्तियों के सिफारिश प्रमाण पत्र जरुरी है। आवेदक के व्यक्तिगत विवरण की पूरी तरह से जाच होगी। यह प्रक्रीया पूर्णकालिक और अपने अंशकालिक कर्मचारी, पगार के साथ और बिन पगार वाले स्वयंसेवकों, सलाहकारों, प्रशिक्षू, और जो भी कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे के साथ सीधे सीधे संबंध मैं आएगे उन सभी पर भी लागू होगा। .

२. शामिल करना : बाल सुरक्षा पर दिशानिर्देश सभी कर्मचारियों और स्वयंसेवको के लिये अनिवार्य होगा। हर कर्मचारी और स्वयंसेवक जो इस समुह मे शामिल होने वाले है वे संगठन की बाल सुरक्षा नीतियों को पूरी तरह से पढेगे और वचनबद्वता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करेंगें। (प्रतिज्ञा की एक प्रतिलिपि साथ में दी गई है)

३. बाल सुरक्षा पर प्रशिक्षण (CP) : सभी कर्मचारी को **CP**(बाल सुरक्षा के सिद्धांत और मानकों) पर १ दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा, और हर साल सभी कर्मचारियों के लिए दोहराने के लिए पाठयक्रम आयोजित किया जाएगा। अपनी वचनबद्धता की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना होगा, । गेटवे मिनिस्ट्रीस इंटरनेशनल के नए कर्मचारी और स्वयंसेवक को कार्यक्रम मै शामिल करने के समय उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा।

४. जागरूकता : नियमित जागरूकता कार्यक्रम बच्चो के अधिकारों पर (यु, एन. सी. आर. सी के दस्तावेज का संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हैं) सुरक्षा के अधिकार सहित स्वयंसेवक, बोर्ड सदस्यों , सलाहकार, प्रशिक्षू, माता पिता ओर जो कोई भी चर्च या स्कुल से जुडे हुये है उनके लिए होगा। इसके अलावा हमारी देखभाल के तहत बच्चो को अपनी उम्र के अनुसार उपयुक्त बाल संरक्षण नीति (निजी सुरक्षा शिक्षा) के प्रासंगिक पहलुओं के बारे मे बताया जायेगा। वयस्कों के स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार पर जागरूक्ता भी प्रदान की जानी चाहिए ताकि जब वे दुर्व्यवहार, उत्पीडन या शोषण का अनुभव करते हैं या साक्षी बनते है तो उन्हें सहायता मिल सकती हे।

५. बच्चों के रोजगार : १८ वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारण संगठन या तो सीधे या अनुचित ढंग से काम पर नहीं रखा जायेगा। कोई भी कर्मचारी किसी कारण या समय के लिए बच्चे को अपने घर पर काम क रने के लिए नियोजित नहीं करेंगे। अगर कोई कर्मचारी ऐसे करते हुये पाया गया तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सक्ती है ।

६. संचार (पत्र व्यवहार) का प्रोटोकोल (क्रमाचार) : हम वचनबद्व है बाल संरक्षण के लिए चाहे प्रचार हो या बाहरी संचार हो। सभी संचार (पत्र व्यवहार) बच्चो की गरीमा को सुरक्षित रखने और प्रत्येक परिवार की गोपनीयता को बचाने की कोशिश करेंगें।

७. कर्मचारी के खिलाफ आरोप : कोई भी आरोप बाल शोषण का किसी कर्मचारी, बोर्ड सदस्यों, या स्वयंसेवक के खिलाफ ,संगठन में या बाहर हो गंभीरता से लिया जायेगा, बाल संरक्षण समिति के सदस्यों मे से किसी को तुरंत सुचना दी जाएगी और कर्मचारी को सभी जिम्मेदारियों से रोका जाये (या निलंबित) जब तक कि निर्दोष सिद्ध न हो। कर्मचारियों या सदस्यों के खिलाफ बाल शोषण की सभी शिकायतों को सख्त गोपनीयता के साथ संभाला जाएगा और तुरंत जांच की जाएगी।

८. विवरण दर्ज करने मे विफलता : उन कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होने बाल शोषण का मामला देखा है या सुना है लेकिन उसका विवरण (रिपोर्ट) दर्ज करने मे विफल रहें ,गंभीर कारवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति बाल शोषण मामलों को छुपाए या विवरण दर्ज करने मे असफल होते हैं, उस व्यक्ती को अपराध के साझेदार के रुप मे माना जाएगा, और उस स्थिति मे उस व्यक्ति को निलंबित करके कारवाई की जाएगी।

९. बाल सुरक्षा समिति का गठन : संगठन के भीतर बाल सुरक्षा से संबधित सभी आरोपो को संभालने के लिए बाल सुरक्षा समिति का गठन किया जायेगा। समिति के प्रतिनिधित्व में संगठन के प्रबंधन मे ही से किसी की नियुक्ती की जायेगी। बाल सुरक्षा समिति बाल सुरक्षा के प्रचार की भी निगरानी करेगी। बाल सुरक्षा समिति के सभी सदस्यों के नामों की सूची और संपर्क जानकारी सभी के लिए प्रदर्शित की जाएगी। बाल सुरक्षा नीति का विवरण कर्मचारी पुस्तिका में उपलब्ध रहेगा।
यदि बाल सुरक्षा समिति के किसी सदस्य पर बाल शोषण का आरोप लगाया जाता है, किसी भी रुप मे तो संबंधित सदस्य अपने त्याग पत्र दे, प्रबंधन पुरी जाँच होने तक किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार रखता है।

बाल सुरक्षा समिति की रचना :
बाल सुरक्षा समिति (सी पी सी) मे कम से कम तीन व्यक्ति शामिल होंगे जिसमे एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य है।

सी पी सी में शामिल होगें : १) बोर्ड के सदस्य। २) प्रबंधन द्वारा नामांकित कर्मचारियों का प्रतिनिधि। ३) बच्चें से संबधिंत मुद्दों के क्षेत्र में काम कर रहें गैर सरकारी संगठन या एक मानसिक चिकित्सक (स्वास्थय कार्यकर्ता)

यह समिति ३ वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी। इस अवधि के बाद, प्रबंधक द्वारा नए सदस्यों का चयन करना होगा।

१०. सी पी सी द्वारा घटना प्रबंधक उपाय : दुर्व्यहार के आरोपें की समीक्षा और जांच बाल सुरक्षा समिति द्वारा आवश्यकता के अनुसार निधारित की जाएगी। आचार संहिता का उल्लंधन होने पर कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है

सी पी सी निम्नलिखित तरीके से आरोंपों को संभालेंगे :

- बाल शोषण के कोई भी आरोप की जानकारी तुरंत बाल सुरक्षा समिति (सी पी सी) के सदस्य को बताना जरुरी है। सी पी सी शिकायत की मांग लिखित रुप में कर सकती है या स्वयं इस तरह की शिकायत को लिखित रुप में प्रस्तुत कर सकती है।

- सी पी सी बच्चे की, अन्य बच्चे की गवाही, माता पिता या अन्य व्यक्ति जो बाल शोषण से संबंधित है जाँच करेगी। इस जाँच को बच्चे के अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिये। बच्चे के माता पिता या अभिभावक को शोषण के बारे में जानकारी मिलने के २४ घंटें के अंदर सूचित करना चाहिए ।अगर आरोप लैंगिक शौषण का है तो सी.पी.सी को इस घटना का विवरण तुरंत स्थानीय पोलिस को बताना होगा और सुनिश्चित करना चाहिये कि एफ आई आर तुरंत दर्ज किया हो।

- जिस व्यक्ति पर बाल सुरक्षा उल्लंघन का शक किया जा रहा है, उसकी भी बात सुनी जायेगी।

- बच्चो की रक्षा के लिए सी. पी. सी किसी भी तत्काल कार्रवाई के बारे मे शिफारीश कर सकती है। यदि कथित अभियुक्त, कर्मचारी, स्वयंसेवक या कोई अधिकारी है उस व्यक्ती को तुरंत अपने काम या पद से निकाला जाये और उसे चर्च /स्कूल परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाये।

- सी पी सी के सामने जो जाँच आई है, उसपर एक महीने के भीतर लेकिन शिकायत मिलने से तीन महीने के अंदर कारवाई करनी चाहीये.।

- यदि कथित दुर्व्यवहार करने वालो को बाल शोषण या शोषण का दोषी पाया जाता है सी पी सी द्वारा जाँच के बाद उसको गलती या चुक केअनुरुप पेश किया जाएगा। मौजूदा राज्य, श्रम कानूनों और या दंडात्मक कार्रवाई के अनुसार बिना पक्षपात चेतावनी, स्थानांतरण, पदावनति, निलंबन, जैसे कदम लिए जायेंगें।

- बाल शोषण मामले में अगर POCSO अधिनियम या भारतीय दंड संहिता (IPC) को तोडने से संबंधित अपराध हुआ है तो सी. पी. सी, पुलिस के साथ पहली सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज करेगे।

- सी पी सी के निर्णय को लिखित रुप मे दर्ज किया जाना चाहिए और एक प्रतिलिपि प्रबंधन, बच्चे के माता पिता या अभिभावकों को, और एक प्रतिलिपि कथित अभियुक्त को भी दी जायेगी।

- पूछताछ के अभिलेख को गोपनीय माना जाएगा। इन्हें प्रबंधन द्वारा सम्भाल के रखा जाएगा।

- किसी शिकायत के बर्खास्त होने पर, कथित आरोपी या शिकायत करने वाले बच्चे के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की जायेगी

- आरोपो में शामिल बच्चों को उनके द्वारा किए गए आघात से उबरने में मदद करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएगी

आचरण (प्रोटोकोल) अधिलेख और आचार संहिता

कलिसिया के पासवान, अगुवे, शिक्षक, कर्मचारी और स्वयंसेवक

- हर बच्चे के साथ आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए जातियता, क्षमता, लिंग, वर्ग या आर्थिक परिस्थितियों का भेदभाव न करते हुये।
- किसी भी तरह के बाल शोषण से जुडी बात , शारीरिक या यौन, बाल श्रम , पोनोग्राफिक, आदि में शामिल न होंगे ना ही किसी बच्चों के अधिकारों उल्लंघन होगा जो राष्ट्रीय कानून में तय है , चाहे वह कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों में शामिल हों या निजी समय के दौरान
- किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, जैसे कि शाब्दिक या शारीरिक रुप से, धमकाने, फुसलाने, अपमान करना या बच्चों पर दबाव डालना अदि में शामिल होगें।
- ना ही किसी भी समय बच्चे को गले लगायेंगें, दुलारेंगे, या इस तरह से स्पर्श करेगें जिससे बच्चे को बैचेनी महसुस हो। ना ही इस तरह के शारीरिक इशारे करेगें जो यौन उत्तेजक हो।
- ना ही कम्प्यूटर, मोबाईल फोन, विडिओ कैमेरा, या सामुहिक माध्यम (सोशियल मीडिया) का उपयोग करे बच्चों का शोषण करने के लिए या बाल शोषण की सामग्री तक पहुंचने के लिए
- ना किसी ऐसी जगह में बच्चे के साथ रहें, जहाँ पर जिम्मेदार वयस्कों द्वारा सहज से नही देखा जा सकता है। दरवाजे हमेशा खुले रखने की कोशिश करे, ताकि अगर आप बच्चो के साथ हो तो दूसरो को भी दिखाई दें। (यह बात माता पिता या माता पिता ने नियुक्त किये हुये जिम्मेंदार देख बाल करने वाले पर लागू नही होता है) जब भी संभव हो यह सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ काम करते समय एक वयस्क व्यक्ति मौजूद है।
- १८ साल से कम उम्र के बच्चों को घरकाम के लिए इस्तेमाल नही करना है, ना ही किसी व्यवसाय प्रतिष्ठानों या किसी खतरनाक काम या किसी व्यवसाय मे बच्चे रोजगार में मदद करे या काम करे।
- बच्चो और युवाओं के लिए कठोर शारीरिक दंड का इस्तेमाल ना करे। थप्पड मारना, मारना, या किसी प्रकार का शारीरिक बल का उपयोग करना किसी कार्यक्रम के दौरान यह सभी निषेध मे शामिल है।
- यह सुनिश्चित करे की सारी घटनाओं और गतिविधियों जिन मे बच्चे शामिल है, बच्चों के सर्वोत्तम हित मे हों। सुनिश्चित करे की बच्चों को जब भी किसी गतिविधियों या क्षेत्र यात्राएं पर ले जाते है उन के साथ साथ मार्गरक्षण (सम्भालने के लिए) करने के लिए पुरुष और स्त्री दोनो हो।
- बाहरी गतिविधियों के लिये बच्चों को जब ले जाते है, उस समय माता पिता की सहमति लेना जरुरी है। बच्चो को उनके अधिकारों, दुर्व्यवहार और शोषण के मुद्दे पर शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाए।

- किसी भी संदिग्ध दुर्व्यवहार के बारे में बाल सुरक्षा समिति को बताना है।
- सभी संबंधित भारतीय और राज्य के कानूनो का पालन करे, जिसमें सभी बच्चों से संबंधित कानून शामिल है।

देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना :
क्योंकि में तुम से कहता हूँ, कि स्वर्ग में उन के दूत
मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं।

मत्ती १८ : १०

अनुबंध

समर्पण की प्रतिज्ञा : (यह प्रतिज्ञा सभी कर्मचारी और स्वंयसेवक को लेना अनिवार्य हैं)

मैं..... ने संगठन के आचार संहिता, और बाल सुरक्षा नीति को पढा है और समझ लिया है।

मैं स्वीकार करता हूं कि मुझसे सेवा कि और / या संगठन की गतिविधियों के साथ समर्पण की उम्मीदें है

मेरे इस हस्ताक्षर से मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

नाम: _____

पद : _____

दस्तखत: _____

तारिख : _____

कृपया इस हिस्से को फाड़ें और इसे **गेटवे मिनिस्ट्रीस इंटरनेशनल** हेड ऑफिस को वापस कर दें

गेटवे मिनिस्ट्रीस इंटरनेशनल

१७५, एस. बी. सींग पथ
कुलाबा पोस्ट ऑफिस के सामने
कुलाबा, मुंबई - ४०० ००५,
दूरभाष , - २२१८९०३६